

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

मन्शाराम बनाम तहसीलदार सीकर
 किस्म मुकदमा इजराय मु.नं. 32 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
06/11/2025	<p>वकील प्रार्थीगण/डिक्रीदारगण द्वारा इजराय पालना हेतु न्यायालय में पेश किया गया। इजराय प्रा.पत्र का अवलोकन किया। इजराय हस्तगत न्यायालय के दावा मु.सं. 138/2019 बउनवान मन्शाराम आदि बनाम पन्नालाल आदि में निर्णय डिक्री दिनांक 15.12.2021 की पालना के संबंध में है।</p> <p>अतः प्रकरण इजराय दर्ज रजिस्टर होकर पालना हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 25.11.2025 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर</p>
25/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण/डिक्रीदारगण उप. पत्रावली वास्ते ई. रिपोर्ट डि० 18/12/25 का पेश हो</p>
18/12/25	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण/डिक्रीदार उप. प्रकरण इजराय में वर्णित निर्णय व डिक्री की पालना के संबंध में तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्रांश अ.अ. 25/4186 डि० 17.12.25 के द्वारा पालना की जाकर पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है अतः हस्तगत इजराय में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है व हस्तगत पत्रावली की कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फंसल शुमार होकर बाह्य तकमिल हाथिल दफ्तर्द है</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर</p>

